



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 19.11.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 821/23 धारा
323/504/506/354ख भादवि व 3/4 मुस्लिम विवाह अधिनियम में वांछित 01
अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 821/23 धारा 323/504/506/354ख भादवि व 3/4 मुस्लिम विवाह अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आबिद पुत्र साबुद्दीन निवासी मौहल्ला ठाकुरद्वारा करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 2- का0 173 रिकू कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 19.11.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



अभियुक्त/वारंटी का नाम व पता-

दुर्गा पुत्र कवर सिंह निवासी ग्राम पाबला बेगमाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री ब्रजेश पौनिया थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-का0 422 राजन सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-का0 333 नितेश कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 19-11-2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 890/23 धारा 147/148/149/323/307/336/504/506/353 भादवि व 7 सीएल एक्ट व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध पोनिया .315 बोर मय एक खोखा कारतूस .315 बोर व एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18-11-2023 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम हरचंदपुर में दो पक्ष हाथों में लाठी-डंडे, धारदार हथियार व अवैध तमंचे लेकर एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से फायर कर रहे हैं । तत्काल सूचना पर थाना कोतवाली बागपत पुलिस



मौके पर पहुंची तो देखा कि दोनों पक्ष के लोग एक-दूसरे पर पथराव करते हुए फायर कर रहे हैं । दोनों पक्षों के लोगों द्वारा एक दूसरे पर पथराव करने के कारण आस पास के लोगों में अफरा – तफरी का माहौल बन गया तथा लोगों में भगदड मच गयी, जिससे लोक शांति व्यवस्था भंग हो गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 890/23 धारा 147/148/149/323/307/336/504/506/353 भादवि व 7 सीएल एक्ट व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 890/23 धारा 147/148/149/323/307/336/ 504/506/353 भादवि व 7 सीएल एक्ट व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध पोनिया .315 बोर मय एक खोखा कारतूस .315 बोर व एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-वाशिद पुत्र पप्पू निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-जुबैर पुत्र शहजाद निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-फूल पुत्र अजीज निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री श्याम सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-का० 378 मोहित थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-का० 885 हरिओम थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 19.11.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस व सर्विलांस सैल बागपत की सयुक्त टीम ने धोखाधडी कर नकली आधार कार्ड व जन्म प्रमाणपत्र तैयार करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक लैपटाप मय चार्जर, एक सीपीयू मय केबिल, दो फिन्गर स्कैनिंग डिवाइस, 06 मोबाईल फोन, 12 कूटरचित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, 01 कूटरचित आधार कार्ड, 11 बने व अधबने आधार कार्ड, एक पासपोर्ट छाया प्रति, एक जाति प्रमाण पत्र बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा धोखाधडी कर नकली आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र तैयार करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 04



अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक लैपटाप मय चार्जर, एक सीपीयू मय केबिल, दो फिन्गर स्कैनिंग डिवाइस, 06 मोबाईल फोन, 12 कूटरचित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, 01 कूटरचित आधार कार्ड, 11 बने व अधबने आधार कार्ड, एक पासपोर्ट छाया प्रति, एक जाति प्रमाण पत्र बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 891/23 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा अन्य अभियुक्त दानिश की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

- 1-मोहसीन पुत्र अब्दुल कय्यूम निवासी कोर्ट रोड नगर पालिका के सामने थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-विशाल पुत्र विनोद निवासी नई बस्ती थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-साहिल पुत्र निजामुद्दीन निवासी मौहल्ला मुगलपुरा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-ताहिर पुत्रगण निजामुद्दीन निवासी मौहल्ला मुगलपुरा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम चारों लोग जनसेवा केन्द्र चलाते हैं तथा दानिश जनसेवा केन्द्र एवं अन्य केन्द्रों पर जन्म प्रमाण पत्र में फोटोशॉप के माध्यम से एडिटिंग कर फर्जी कूटरचित जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं एवं फर्जी कूटरचित जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर विशाल कैनरा बैंक में बैठकर आधार कार्ड बनाते हैं । हम पीएनबी बैंक में बैठकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर फर्जी आधार कार्ड व एडिटिंग करके फर्जी पासपोर्ट बनाता हूँ । हम ये सभी कार्य मिलजुल कर एक-दूसरे के सहयोग से करते हैं । ताहिर ने पूछताछ पर बताया कि मैं एक वर्चुअल नं0 +1(330)437-9695 चलाता हूँ जो ऑनलाईन लिया गया है एवं विदेशी है जिस पर मैं बैंक में आधार कार्ड बनाने का कार्य करता हूँ ।

बरामदगी का विवरण-

- एक लैपटाप मय चार्जर ।
- एक सीपीयू मय केबिल ।
- दो फिंगर स्कैनिंग डिवाइस ।
- 06 मोबाईल फोन ।
- 12 कूटरचित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र ।
- 01 कूटरचित आधार कार्ड ।
- 11 बने व अधबने आधार कार्ड ।

- एक पासपोर्ट छाया प्रति, एक जाति प्रमाण पत्र ।

गिरफ्तार अभियुक्त मोहसीन का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 1100/2022 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री नितिन पाण्डेय, प्रभारी सर्विलांस सैल बागपत ।
- 3-है0का0 214 उमेश कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 4-है0का0 120 प्रदीप कुमार सर्विलांस सैल बागपत ।
- 5-है0का0 555 जनसन सर्विलांस सैल बागपत ।
- 6-है0का0 153 वीरेन्द्र सर्विलांस सैल बागपत ।
- 7-का0 369 विशाल पंवार थाना कोतवाली बागपत ।
- 8-का0 08 अनुज कुमार सर्विलांस सैल बागपत ।
- 9-का0 631 रक्षित कुमार सर्विलांस सैल बागपत ।
- 10-का0 840 मोहित कुमार सर्विलांस सैल बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 19-11-2023

थाना खेकड़ा पुलिस ने 01 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से बने हुए 40 किलो ग्राम अवैध पटाखे बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से बने हुए 40 किलो ग्राम अवैध पटाखे बरामद हुए हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

जोगिन्द्र पुत्र जिले सिंह निवासी पट्टी रामपुर करबा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 40 किलो ग्राम बने अवैध पटाखे ।

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 सुखपाल सिंह थाना खेकड़ा ।

2-उ0नि0 अबरार हुसैन थाना खेकड़ा ।

3-का0 555 रवि कुमार थाना खेकड़ा ।

4-का0 1075 मनीष कुमार थाना खेकड़ा ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक-19.11.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से जनपद मेरठ से चोरी की हुई एक मोटर साईकिल हीरो स्प्लैण्डर बिना नम्बर प्लेट व एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से जनपद मेरठ से चोरी की हुई एक मोटर साईकिल हीरो स्प्लैण्डर बिना नम्बर प्लेट व एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजा उर्फ सलमान पुत्र यूसूफ निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई एक मोटर साईकिल हीरो स्प्लैण्डर बिना नम्बर प्लेट ।
- एक अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 109/2020 धारा 188/323/352/295ए भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 192/2020 धारा 25/27 आम्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 302/2023 धारा 414/411 आईपीसी व 3/25 आम्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री जगवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर ।

2-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर ।

3-का0 666 रघुवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर ।



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में दुष्कर्म करने के आरोपी इसराईल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 07 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2016 में अभियुक्त इसराईल पुत्र रसीद निवासी ग्राम कासिमपुर खेड़ी थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 154/2016 धारा 363/354/506/376 भादवि, 3/4 पोक्सो एक्ट व 3(1)(2) एससीएसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित किया गया तथा मॉनिटरिंग सैल बागपत व अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 20.11.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त इसराईल पुत्र रसीद निवासी ग्राम कासिमपुर खेड़ी थाना रमाला जनपद बागपत को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है एवं धारा 363/354/506 भादवि, 3/4 पोक्सो एक्ट व 3(1)(2) एससीएसटी एक्ट में दोषमुक्त किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है। बागपत पुलिस द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



baghpatpolice



Baghpat police



@baghpatpolice